

मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रेषक,

अशोक कुमार
मुख्य अभियंता (मो०)

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/देवघर/याँत्रिक, राँची/केन्द्रीय रूपांकण संगठन, राँची/अग्रिम योजना, राँची/लघु सिंचाई, राँची/दुमका/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची/उप निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी।

विषय: परिक्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा बैठक अगस्त 2012 (16 से 25 अगस्त 2012)

प्रसंग: विभागीय पत्रांक- 2/PMC/कार्य-132/2007-501 दिनांक- 04.08.2012

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के कड़िका-5 से संबंधित सूची संलग्न की जाती है।

कृपया प्रक्षेत्राधीन बैठक की तिथि से 3 दिन पहले अनुपालन प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची /मुख्य अभियंता (मो.)/अधीक्षण अभियंता (मो.-1, 2 एवं 3)/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य, (जल संसाधन) मंत्री झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

६०/-

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक: 2/पी.एम.सी./कार्य-132/2007/...../राँची, दिनांक: 11/8/12

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त।

७६०

11.8.2012

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियंता (मो०)

प्रशाखा - 14

लम्बित मामले की सूचीसंचिका सं०

1. W.P (PIL) सं०/2012 देवेन्द्र प्रसाद राय बनाम 14/मु०-01-18/12
झारखण्ड सरकार
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर से पत्रांक- 1319 दिनांक- 13.06.2012 द्वारा माँग की गई है।)
2. W.P (S) सं०/2011 निवारण चन्द्र गोराई बनाम राज्य 14/मु०-01-12/12
झारखण्ड सरकार
(विशेष भू-अर्जन पदा० सं०-3, सुवर्णरेखा परि० मानगो जमशेदपुर से पत्रांक-633 दि०-16.03.2012 माँगी गई सूचना अप्राप्त)
3. W.P (C) सं०/2012 अंबानी दास बनाम झारखण्ड- 14/मु०-01-29/12
(तथ्य विवरणी की माँग की गई है सूचना अप्राप्त, पुर्नवास पदा०, चाण्डिल से विभागीय पत्रांक-1455 दि०-25.06.12 द्वारा)
4. W.P (C) सं०/2011 गोविन्द महतो बनाम झारखण्ड - 14/मु०-01-02/12
सरकार व अन्य
कंडिकावार तथ्य विवरणी की माँग वि०भू०अ०सं०-3 आदित्यपुर से पत्रांक-120 दि०-10.01.2012 द्वारा माँग की गई है। अप्राप्त
5. MISC Case No - 20/2011 राम किशोर महतो बनाम राज्य सरकार
14/मु०-03-03/12
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची से पत्रांक-1071 दिनांक- 12.05.12 द्वारा तथ्य विवरणी की माँग की गई)
6. F.A सं०/2012 नेपाल चन्द्र महतो बनाम राज्य सरकार 14/मु०-03-01/12
(विशेष भू-अर्जन पदा०, चाण्डिल से पत्रांक- 898 दि०-27.04.12 द्वारा प्रथम अपील की याचिका प्रति अप्राप्त)
7. W.P (C) सं०/2012 बंधन महतो बनाम राज्य सरकार 14/मु०-01-13/12
विशेष भू-अर्जन पदा०, हजारीबाग से पत्रांक- 904 दि० 27.04.12 प्रतिशपथ की दायर प्रति अप्राप्त।

8. W.P. (C) सं०/2011-अनुकुल दास बनाम झारखण्ड सरकार 14/मुक०-01-04/12

विशेष भू-अर्जन पदा०-सं०-1, मानगो जमशेदपुर से पत्रांक- 378 दि०- 11.02.2012 द्वारा शपथ पत्र की दायर प्रति अप्राप्त।

9. W.P. (C) सं०/2011-अशोक सेन बनाम झारखण्ड- 14/मुक०-01-10/2012 सरकार व अन्य

विशेष भू-अर्जन पदा० सं०-3, आदित्यपुर से. पत्रांक- 451 दि० 17.02.2012 द्वारा तथ्य विवरणी अप्राप्त।

10. W.P. (C) सं०/2012-रामेश्वर महतो बनाम झारखण्ड सरकार- 14/मुक०-01-09/2012

विशेष भू-अर्जन पदा०, हजारीबाग को पत्रांक- 832 दि० 20.04.2012 माँगी गई दायर प्रति अप्राप्त।

11. MISC Case सं० 32/06, 34/06, 26/06, 33/06 एवं 31/06 में सं०सं०-14 भू०अ०-01-02/2012

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची से पत्रांक-1449 दि०-23.06.2012 द्वारा माँग की गई है न्याय निर्णय की प्रति एवं अन्य कागजात अप्राप्त है।

प्रशाखा -2 (सहायक अभियंताओं के स्थापना) से संबंधित प्रतिवेदन

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-3019 दिनांक- 30.06.2012 एवं पत्रांक- 473 दिनांक - 17.07.2012 का अनुपालन प्रतिवेदन सभी मुख्य अभियंताओं से प्राप्त किया जाना है।
2. श्री अखिलेश्वर शाही, सहायक अभियंता (चालू प्रभार), खरकई नहर प्रमण्डल आदित्यपुर (वर्तमान में अवकाश पर है, स्वेच्छापूर्वक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं या कार्यरत है अथवा नहीं ?) से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर से प्राप्त किया जाना है।

प्रशाखा-08 से संबंधित लंबित मामलों की सूची

1. लोहरदगा जिले के किस्को प्रखण्ड में वर्ष 2006-07 में शंख नदी पर स्वीकृत श्रृंखलाबद्ध चेकडैम एवं वर्ष 2007-08 में सोमरडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम में पायी गयी अनियमितता के लिए दोषी अभियंता श्री रामनन्दन सिंह, कनीय अभियंता एवं श्री मकर चौधरी से कुल रु. 8,87,655/- की वसूली हेतु स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जो अप्राप्त है। स्मारित किया गया है। (मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)
2. लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के निर्माण में बरती गयी अनियमितताओं के लिए श्री अशोक कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (सेवा निवृत्त), बृज बिहारी प्रसाद, सहायक अभियंता एवं श्री गंगाचरण साह, कनीय अभियंता के विरुद्ध Recovery का order निर्गत है, लेकिन अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है, स्मारित किया गया है। (मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)
3. कुडू प्रखण्ड के चीरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम एवं किस्को प्रखण्ड अंतर्गत किस्कू नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए Recovery का आदेश निर्गत करने के पूर्व स्पष्टीकरण की माँग की गयी है जो अबतक अप्राप्त है। स्मारित किया जा रहा है। (मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)
4. लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद (लतरातु जलाशय योजना) लतरातु जलाशय योजना के तहत कराये गये कार्यों में अनियमितता के फलस्वरूप दोषी अभियंताओं से वसूलनीय राशि का दंडादेश विभाग द्वारा निर्गत है लेकिन वसूली संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। अनुपालन प्रतिवेदन की माँग कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद से की गयी है। (मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची)

राशि की वसूली के उक्त प्रतिवेदनों के अतिरिक्त इस प्रशाखा द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के कुल 16 (सोलह) मामले क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीन लंबित है। इन 16 मामलों में दो (2) मामले में अभियंता प्रमुख, 1 मामले में, विभागीय विशेष सचिव, तीन (3) मामले में, मुख्य अभियंता, ईचागालूडीह 3 मामले में, मुख्य अभियंता मोनिरिंग 1 मामले में, विभागीय जाँच पदाधिकारी हैं। 2 (दो) मामले में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची, 2 मामले में अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई, राँची, 1 मामले में मुख्य अभियंता, देवघर जाँच पदाधिकारी हैं।

झारखण्ड राज्य के गठन अबतक जल संसाधन विभाग में निम्नलिखित मुख्य अभियंताओं के स्तर पर लम्बित आश्वासनों की सूची :-

1. मुख्य अभियंता, हजारीबाग	20
2. मुख्य अभियंता, राँची	05
3. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	13
4. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	19
5. मुख्य अभियंता, मेदनीनगर	31
6. मुख्य अभियंता, चाण्डिल	06
7. मुख्य अभियंता, देवघर	07
8. मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह	07
9. संयुक्त सचिव, (प्रबंधन)	12
10. मुख्य अभियंता (मो०)	13
कुल	133

निवेदन/शून्यकाल/अतारांकित प्रश्न

अनुपालन में निम्न वर्णित प्रतिवेदन हैं-

1. निवेदन-08 जो मुख्य अभियंता के समक्ष लंबित है। सूची संलग्न।
2. शून्यकाल-12 जो मुख्य अभियंता के समक्ष लंबित है। सूची संलग्न।
3. अतारांकित प्रश्न-29 जो मुख्य अभियंता के समक्ष लंबित है। सूची निम्नवत्त है।

क्र०	मुख्य अभियंता का नाम	लंबित निवेदन की सं०	लंबित शून्यकाल की सं०	लंबित अतारांकित प्रश्न की सं०	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची	01	01	01	03
2.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	05	10	02	17
3.	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	02	03	26	31
4.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर	01	—	26	27
5.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग	—	01		01
		08	12	29	

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में निवेदनों की अद्यतन स्थिति

क्र०	निवेदन संख्या	माननीय सदस्य का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति मुख्य अभियंता का नाम जहाँ से उत्तर सामवर्ती अप्राप्त है।	अभ्युक्ति विभागीय पत्रांक / दिनांक
1.	525 / 12	श्री हरिकृष्ण सिंह	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	1746 / 19.04.2012 3245 / 09.07.2012 3729 / 30.07.2012
2.	646 / 12	श्री लोविन हेम्ब्रम	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	1722 / 18.04.2012 3260 / 09.07.2012 3730 / 30.07.2012
3.	658 / 12	श्रीमती गीता श्री उराँव	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर	1965 / 03.05.2012 3251 / 09.07.2012 3763 / 31.07.2012
4.	662 / 12	श्रीमती गीता कोड़ा	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	1967 / 03.05.2012 3264 / 09.07.2012 3752 / 31.07.2010
5.	577	श्री लक्ष्मण गिलुवा	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	2090 / 10.05.2012 3263 / 09.07.2012 3728 / 30.07.2012
6.	681	श्री विनोद कुमार सिंह	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची	2065 / 09.05.2012, 3265 / 09
7.	675 / 12	श्री अनन्त प्रताप देव	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2066 / 04.05.2012, 3253 / 09, 3727 / 30.07.2012
8.	587 / 12	श्री बन्धु तिकी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	3235 / 09.07.2012 3731 / 30.07.2012

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में शून्यकाल की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	शून्यकाल की तिथि	माननीय स० वि० स० का नाम	संबंधित मुख्य अभियंता का नाम जहाँ से उत्तर सामग्री अप्राप्त है।	विभागीय पत्रांक / दिनांक जिसके द्वारा उत्तर सामग्री की माँग की गयी है।	अभ्युक्ति
1.	16.03.2012	श्रीमती गीता श्री उराँव	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची	2112 / 11.05.2012 3234 / 09.07.2012 3756 / 31.07.2012	
2.	26.03.2012	श्री जगरनाथ महतो	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2114 / 11.05.2012 3255 / 09.07.2012 3741 / 31.07.2012	
3.	शून्य	श्री रामदास सोरेन	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2108 / 11.05.2012 3742 / 31.07.2012	
4.	17.03.2012	श्रीमती सुधा चौधरी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2109 / 11.05.2012 3314 / 11.07.2012 3751 / 31.07.2012	
5.	27.03.2012	श्री निर्भय कुमार माहवादी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका	2178 / 14.05.2012 3203 / 07.07.2012 /	
6.	28.03.2012	श्री निजामउद्दीन अंसारी	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका मुख्य अभियंता, ज०स०, हजारीबाग	2179 / 04.05.2012 3202 / 07.07.2012 3761 / 31.07.2012	
7.	29.03.2012	श्री हरिकृष्ण सिंह	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2175 / 14.05.2012 3256 / 09.07.2012 3745 / 31.07.2012	

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची में शून्यकाल की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	शून्यकाल की तिथि	माननीय स० वि० स० का नाम	संबंधित मुख्य अभियंता का नाम जहाँ से उत्तर सामग्री अर्पित है।	विभागीय पत्रांक / दिनांक जिसके द्वारा उत्तर सामग्री की माँग की गयी है।	अभ्युक्ति
8.	20.03.2012	श्री कमल किशोर भगत	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2302 / 21.05.2012 3199 / 07.07.2012 3.... /	
9.	22.03.2012	श्री कमल किशोर भगत	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2329 / 21.05.2012 3257 / 09.07.2012 3746 / 31.07.2012	
10.	23.03.2012	श्री हरिकृष्ण सिंह	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2330 / 21.05.2012 3246 / 09.07.2012 3742 / 31.07.2012	
11.	20.03.2012	श्री राजेश रंजन	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	2391 / 21.05.2012 3313 / 11.07.2012 3762 / 31.07.2012	
12	23.03.2012	श्री जगरनाथ महतो	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	2390 / 21.05.2012 3306 / 11.07.2012 3747 / 31.07.2012	

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों की अद्यतन स्थिति

क्र० सं०	अतारांकित प्रश्न संख्या	माननीय स.वि.स. का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति	सचिका संख्या	अभ्युक्ति / विभागीय ज्ञापांक / दिनांक
1.	ज०-01	श्री अनन्त प्रताप देव	विधान सभा को उत्तर प्रेषित	6 / ज.स.वि.-30-01 / 12	3709 / 30.7.012
2.	ज०-02	श्री संजय प्रसाद यादव	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	6 / ज.स.वि.-30-02 / 12	1663 / 12.4.12 3840 / 02.08.12
3.	ज०-03	-वही-	-वही-	6 / ज.स.वि.-30-03 / 12	1162 / 12.04.12 3841 / 02.08.12
4.	ज०-04	-वही-	-वही-	6 / ज.स.वि.-30-04 / 12	1620 / 11.04.12 3842 / 02.08.12
5.	ज०-05	-वही-	-वही-	6 / ज.स.वि.-30-05 / 12	1619 / 11.04.12 3843 / 02.08.12
6.	ज०-06	-वही-	-वही-	6 / ज.स.वि.-30-06 / 12	1618 / 11.04.12 3844 / 02.08.12
7.	ज०-07	-वही-	-वही-	6 / ज.स.वि.-30-07 / 12	1617 / 11.04.12 3845 / 02.08.12
8.	ज०-08	श्री संजय प्रसाद यादव	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	6 / ज.स.वि.-30-08 / 12	1616 / 11.04.12 3846 / 02.08.12

क्र० सं०	अतारकित प्रश्न संख्या	माननीय स.वि.स. का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति	संचिका संख्या	अभ्युक्ति/विभागीय ज्ञापांक/ दिनांक
9.	ज०-09	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-09/12	1615/11.04.12 3847/02.08.12
10.	ज०-10	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-10/12	1614/11.04.12 3848/02.08.12
11.	ज०-11	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-11/12	1613/11.04.12 3849/02.08.12
12.	ज०-12	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-12/12	1661/12.04.12 3850/02.08.12
13.	ज०-13	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-13/12	1660/12.04.12 3851/02.08.12
14.	ज०-14	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-14/12	1659/12.04.12 3852/02.08.12
15.	ज०-15	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-15/12	1658/12.04.12 3853/02.08.12
16.	ज०-16	श्री संजय प्रसाद यादव	मुख्य अभियंता, जल संसाधन, देवघर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	6/ज.स.वि.-30-16/12	1624/11.04.12 3854/02.08.12
17.	ज०-17	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-17/12	1625/11.04.12 3855/02.08.12

क्र० सं०	अतारांकित प्रश्न संख्या	माननीय स.वि.स. का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति	सचिका संख्या	अभ्युक्ति / विभागीय ज्ञापक / दिनांक
18.	ज०-18	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-18/12	1626/11.04.12 3856/02.08.12
19.	ज०-19	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-19/12	1653/12.04.12 3857/02.08.12
20.	ज०-20	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-20/12	1622/11.04.12 3858/02.08.12
21.	ज०-21	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-21/12	1623/11.04.12 3859/02.08.12
22.	ज०-22	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-22/12	1652/12.04.12 3860/02.08.12
23.	ज०-23	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-23/12	1656/12.04.12 3861/02.08.12
24.	ज०-24	श्री संजय प्रसाद यादव	मुख्य अभियंता, जल ससाधन, देवघर मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	6/ज.स.वि.-30-24/12	1655/12.04.12 3862/02.08.12
25.	ज०-27	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-25/12	
26.	ज०-28	-वही-	-वही-	6/ज.स.वि.-30-26/12	
27.	ज०-25	श्री गुरुचरण नायक	विधान सभा को उत्तर प्रेषित	6/ज.स.वि.-30-27/12	2806/20.06.12

क्र० सं०	अतारांकित प्रश्न संख्या	माननीय स.वि.स. का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति	संचिका संख्या	अभ्युक्ति / विभागीय ज्ञापांक / दिनांक
28.	ज.-28	श्री सुरेश पासवान	विधान सभा को उत्तर प्रेषित	6/ज.स.वि.-30-28/12	3710/30.07.12
29.	ज.-29	श्री विद्युत वरण महतो	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को स्थानान्तरित	6/ज.स.वि.-30-29/12	1924/02.05.12
30.	ज.-32	श्री कमल किशोर भगत		6/ज.स.वि.-30-30/12	
31.	ज.-31	श्री हरिकृष्ण सिंह	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	6/ज.स.वि.-30-31/12	1668/12.04.12 3863/02.08.12
32.	ज.-33	श्री योगेन्द्र साव		6/ज.स.वि.-30-32/12	
33.	पेय-09	श्री विद्युत वरण महतो	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची	6/ज.स.वि.-30-33/12	2380/24.05.12 3864/02.08.12

प्रशाखा -4

प्रशाखा -4 में क्षेत्रीय स्थापना के वर्ग-3 एवं 4 संवर्ग का मामला निष्पादित किया जाता है, जिसका नियुक्ति पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता होते हैं। विभाग में उक्त संवर्ग का न्यायालय वाद का मामला मूलतः विचाराधीन है, जिसपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2. ACP स्वीकृति - शोध सहायक संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी का ACP स्वीकृत किया जाना है, जिसमें वेतनमान स्पष्ट नहीं रहने के कारण वित्त विभाग से परामर्श की माँग किया गया है।

प्रशाखा - 5

प्रशाखा 5 में मूलतः निम्न कार्रवाई लम्बित है एवं वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :-

1. पेंशन - कुछ सेवा निवृत्त कर्मियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना है, जिसपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2. वेतन संशोधन :- वित्त विभाग के संकल्प सं० दिनांक-..... के आलोक में कुछ कर्मचारियों को दिनांक- 01.01.2006 के प्रभाव से वेतन संशोधन किया जाना है।
3. प्रोन्नति :- कुछ कर्मियों का MACP का मामला लम्बित है संबंधित कर्मियों का प्रतिवेदन तैयार कर MACP स्वीकृति हेतु बैठक आहूत करने की कार्रवाई किया जा रहा है।
4. न्यायालय वाद :- प्रशाखा में लम्बित नहीं है। आदेश हेतु संचिका उपस्थापित है।

प्रशाखा - 11

निम्नलिखित विषय से संबंध मामला का अन्तिम विस्तार शेष है :-

1. श्रीमति परिवाला देवी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु याचिका दायर की गयी थी। न्याय निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा आदेश पारित किया जाना है। विभाग की ओर से भी निदेश दिया गया है, परन्तु अबतक लम्बित है।
2. श्री विनोद कुमार मण्डल द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु याचिका दायर किया गया है। अन्य विवरणी की माँग मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर से की गयी है जो अप्राप्त है। परिमाणतः मामला लम्बित है।
3. श्री जयशंकर पाण्डेय को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कालबाधित अवधि से अन्त करने के लिए संचिका कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग है।

झारखण्ड राज्य के गठन अबतक जल संसाधन विभाग में निम्नलिखित मुख्य अभियंताओं के स्तर पर लम्बित आश्वासनों की सूची :-

1. मुख्य अभियंता, हजारीबाग	20
2. मुख्य अभियंता, राँची	05
3. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	13
4. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	19
5. मुख्य अभियंता, मेदनीनगर	31
6. मुख्य अभियंता, चाण्डिल	06
7. मुख्य अभियंता, देवघर	07
8. मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह	07
9. सहायक सचिव, (प्रबंधन)	12
10. मुख्य अभियंता (मो०)	13

कुल 133